"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 206 ] रायपुर, बुधवार, दिनांक 1 अगस्त 2012—श्रावण 10, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2012

क्रमांक 6423/डी. 170/21-अ/प्रारू./छ. ग./12.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 28-07-2012 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**के. एल. चरयाणी**, अतिरिक्त सचिव.

## छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 15 सन् 2012)

# छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2012

**छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.**

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

**संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

**धारा 5-क का संशोधन.**

2. (1) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 5-क की उप-धारा (1) तथा उसके प्रथम परंतुक में, शब्द "रुपये दो लाख" के स्थान पर शब्द "रुपये तीन लाख" प्रतिस्थापित किया जाये.

(2) मूल अधिनियम की धारा 5-क की उप-धारा (2) में, शब्द "रुपये एक लाख" के स्थान पर शब्द "रुपये एक लाख पचास हजार" प्रतिस्थापित किया जाये.

**धारा 6-क का संशोधन.**

3. मूल अधिनियम की धारा 6-क की उप-धारा (1) के प्रथम परन्तुक में, शब्द "दो सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "तीन सौ रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए और शब्द "अतिरिक्त पेंशन दी जायेगी" के पश्चात् शब्द "और यह भी कि यदि किसी व्यक्ति ने दस वर्ष से अधिक की कालावधि के लिये पूर्वोक्त रूप में कार्य किया हो, तो उसे दस वर्ष से ऊपर के प्रत्येक वर्ष के लिए चार सौ रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त पेंशन दी जायेगी और यदि किसी व्यक्ति ने पन्द्रह वर्ष से अधिक की कालावधि के लिये पूर्वोक्त रूप में कार्य किया हो, तो उसे पन्द्रह वर्ष से ऊपर के प्रत्येक वर्ष के लिए पांच सौ रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त पेंशन दी जायेगी" जोड़ा जाये.

**धारा 6-ख का संशोधन.**

4. मूल अधिनियम की धारा 6-ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाये, अर्थात् :—
"किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के पति/पत्नि यदि कोई हो, को आजीवन या उसके आश्रित को, पंद्रह वर्ष की कालावधि के लिये, उस सदस्य की मृत्यु के दिनांक से प्रतिमाह दस हजार रुपये पेंशन दी जायेगी."

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2012

क्रमांक 6423/डी. 170/21-अ/प्रारू./छ. ग./12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 15 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**के. एल. चरयाणी**, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 15 of 2012)

## THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA TATHA PENSION (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2012

**An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha SAdasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973).**

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-third Year of the Republic of India, as follows :—

**Short title and commencement.**

1\. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension (Sanshodhan) Adhiniyam, 2012.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

**Amendment of Section 5-A.**

2\. (1) In sub-section (1) and its first proviso of Section 5-A of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniya, 1972 (No. 7 of 1973), ( hereinafter referred to as the Principal Act) for the words "Rs. Two Lac" the words "Rs. Three Lac" shall be substituted.

(2) In sub-section (2) of Section 5-A of the Principal Act, for the words "Rs. One Lac" the words "Rs. One Lac Fifty Thousand" shall be substituted.

**Amendment of Section 6-A.**

3\. In the first proviso to sub-section (1) of Section 6-A of the Principal Act, for the words "two hundred rupees" the words "three hundred rupees" shall be substituted and after the words "in excess of five years" the words "and if any person has served as aforesaid for a period exceeding ten years there shall be paid to him an additional pension of four hundred rupees per mensem for every year in excess of ten years and if any person has served as aforesaid for a period of more than fifteen years there shall be paid to him an additional pension of five hundred rupees per mensem for every year in excess of fifteen years:" shall be added.

**Amendment of Section 6-B.**

4\. For Section 6-B of the Principal Act, the following Section shall be substituted, namely :—
"There shall be paid a pension of rupees ten thousand per mensem to the spouse, if any for life or to a dependent of a member or ex-member for a period of fifteen years from the date of his death."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.